महत्वपूर्ण

संख्या– 1161 / एक–9–2018–11(2) / 2011

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–9

लखनऊः दिनांकः 19 जून, 2018

विषयः– आय प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की निर्धारित समय–सीमा में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समय–समय पर शासन के संज्ञान में यह आया है कि आय प्रमाण पत्रों के विलम्ब से जारी होने की दशा में जहाँ एक ओर छात्रों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि प्राप्त करने में असुविधा / कठिनाई होती है, वहीं दूसरी ओर आम जनता को भी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में विलम्ब / कठिनाई होती है, जिसके कारण कभी–कभी वॉछित लाभ पात्र छात्रों / लाभार्थियों को नहीं मिल पाता है। छात्रों एवं आम जनता को होने वाली उक्त कठिनाईयों के दृष्टिगत शासन स्तर पर हुए विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने की समय सीमा को संशोधित किया जाय।

2– अतएव उपरोक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संदर्भ में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों में उल्लिखित समय सीमा को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में अध्ययनरत छात्रों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि हेतु आवेदन किये जाने वाले आय प्रमाण पत्रों को 07 कार्य दिवसों में एवं सामान्य जनों के आय प्रमाण पत्रों को अधिकतम 15 दिन में जारी कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3– यह भी कहने का निदेश हुआ है कि छात्रों के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय सामान्यतः बहुत अधिक संख्या में प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, अतः ऐसी दशा में संबंधित तहसील में कैम्प लगाकर 07 कार्य दिवसों में आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय और जिन अभ्यर्थियों के माता–पिता आयकर दाता है, उनकी आयकर विवरणी के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र जारी कराये जाय और इस संबंध में एन0आई0सी0 द्वारा साफ्टवेयर में यह व्यवस्था करायी जाय कि छात्रों के प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जा सके एवं साफ्टवेयर में यह भी व्यवस्था की जाय कि प्रार्थना पत्र दिये जाने के 05 दिन के पश्चात तहसीलदार के डैशबोर्ड पर लम्बित प्रार्थना पत्रों की सूची को लाल रंग से प्रदर्शित कर दिया जाय।

उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2749/BST/18
वि0अ0 (IT)
20-06-2018

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पृ0सं0–1161(1) / एक–9–2018–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव–आई0टी0 एवं इक्ट्रानिक्स, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, समाज कल्याण, कृषि, ग्राम्य विकास, गृह एवं गोपन / कारागार प्रशासन एवं सुधार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, पंचायती राज, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल विकास, उ0प्र0, शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किंजल सिंह)
विशेष सचिव।